न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./83/2024/बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
1. खेताराम पुत्र मंगलाराम जाति मेघवाल, उम्र 40 वर्ष, निवासी आसोतरा, तह. पचपदरा, जिला बालोतरा।		1. अजाराम पुत्र विशनाराम 2. गीगी पत्नी रावा 3. गोविन्द पुत्र मांगाराम 4. चन्दा पुत्र रावा 5. जीणा पुत्र रावा 6. दानाराम पुत्र सविया 7. धोलकी पत्नी सविया 8. पन्ना पुत्र सविया 9. पारस पुत्र सविया 10. बागा पुत्र रावा 11. भोलाराम पुत्र सविया 12. भजनारामपुत्र सविया 13. मोहनी पत्नी सविया 14. मोवनी पत्नी सविया 15. लिक्ष्मण पुत्र रावा 16. वरजुदेवी पत्नी विशनराम 17. शांति देवी पत्नी पन्नाराम 18. सुरेश पुत्र मागांराम, समस्त जातियात मेघवाल, निवासी आसोतरा, तह. पचपदरा, जिला बालोतरा। 19. उपवन संरक्षक वन विभाग, बाड़मेर। 20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा, जिला बालोतरा।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 414/2023 बउनवान अजाराम बनाम खेताराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 20.09.2024 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थितः—

1. वकील श्री कैलाश पुरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री चेलाराम कुमावत रेस्पो. संख्या 03 लगायत 06 व 09, 11, 12, 15 की ओर से।
3. शेष रेस्पोडेन्ट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

—:निर्णयः—

दिनांकः—29.07.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या 01 लगायत 18 जो कि ग्राम आसोतरा के खसरा संख्या 409 के खातेदार हैं उक्त पक्षकारान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत एक आवेदन अपने खेत खसरा संख्या 409 में आवागमन हेतु अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 01 के मौजा आसोतरा में स्थिति खसरा संख्या 4044/3944 में से होकर रास्ता प्रदान करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जबकि प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स के खेत के बदिशा उत्तरी तरफ खेत खसरा संख्या 2970/570 में से आवागमन का रास्ता मौजूद है। जो प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु सबसे नजदीकतम रास्ता है। जो मौके पर चालू हालात में चल रहा है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते का उपयोग—उपभोग किया जा रहा है। जो अपीलाधीन आवेदन में संलग्न मौका रिपोर्ट से भी स्पष्ट है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को अनदेखा करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या 01 लगायत 18 जो कि ग्राम आसोतरा के खसरा संख्या

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

409 के खातेदार हैं उक्त पक्षकारान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत एक आवेदन अपने खेत खसरा संख्या 409 में आवागमन हेतु अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 01 के मौजा आसोतरा में स्थिति खसरा संख्या 4044/3944 में से होकर रास्ता प्रदान करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। क्योंकि प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स के खेत के वदिशा उत्तरी तरफ खेत खसरा संख्या 2970/570 में से आवागमन का रास्ता मौजूद है। जो प्रार्थी के खेत में आवागम हेतु सबसे नजदीकतम रास्ता है। जो मौके पर चालू हालात में है एवं प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते का उपयोग–उपभोग किया जा रहा है। जो अपीलाधीन आवेदन में संलग्न मौका रिपोर्ट में भी बरंग लाल से भी स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधि0 की धारा 251– ए के प्रावधान हस्तगत प्रकरण में लागू भी नहीं होते है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को अनदेखा करते हुए दूषित मंशा सें अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया है। प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट द्वारा चाहा गया रास्ता वर्तमान में खसरा संख्या 4076/4044 में स्थित है जिसकी खातेदार सीतादेवी है। जिसको प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट द्वारा जानबूझकर पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। बिना प्रोपर खातेदार के पारित अपीलाधीन आदेश न्याय की मंशा के विपरित प्रतीत होता है। पार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स व उसके पड़ोसी खेत खसरा संख्या 2970/570 के खातेदार के मध्य अपीलांट/अप्रार्थी के विरूद्ध दुरभि संधि कर अपीलांट को नाहक नुकसान पहुंचाने के इरादे से अपीलाधीन आवेदन को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। खसरा संख्या 2970/570 में से वर्तमान में प्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा आवागमन हेतु रास्ते का उपयोग–उपभोग किया जा रहा है। केवल मात्र प्रार्थीगण की सुविधानुसार अपीलांट के खेत में से रास्ते हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जबकि विधि अनुसार रास्ता कृषक की सुविधा अनुसार नहीं अपितु अत्यधिक आवश्यकता को मध्य नजर रखते हुए प्रदान किया जाता है। प्रार्थीगण के आवगमन हेतु रास्ता खसरा संख्या 2970/570 में से उपलब्ध होने से नये रास्ते की आवश्यकता ही नहीं रहती है। इस आधार पर अपीलांट के खेत में से रास्ते का आदेश करना कानून सार्थक नहीं है। साथ ही अपीलांट/अप्रार्थी के वकील द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में बहस के दौरान निवेदन किया गया था कि अगर किसी कारणवश अपीलाधीन रास्ता घोषित किया जाता है तो अप्रार्थी को क्षतिपूर्ति के रूप में भूमि के बदल भूमि देने का आदेश प्रदान करावें क्योंकि अप्रार्थी लघु काश्तकार है। अप्रार्थी के पास कम व छोटा खेत है। उक्त कथनों एवं मौका रिपोर्ट से परे जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मजमे आम में उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई निकटतम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में बताये रास्ते के विकल्प प्रस्तावित रास्ते से कहीं अधिक दूरी के हैं। इसलिए रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे। वकील रेस्पो. द्वारा अपने उक्त कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया गया–

2019 DNJ[Rev.] PAGE NO-181

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में मौका रिपोर्ट मय नक्शा के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेंट्स/प्रार्थी के खेत से उत्तरी दिशा में खेत खसरा संख्या 2970/570 जो अपीलांट/विप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 4044/3944 के बिल्कुल समानान्तर स्थित है। रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 409 के आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ता लघु काश्तकार खेत खसरा संख्या 4044/3944 के खेत में से प्रदान किया गया है जबकि उक्त खसरा संख्या के समानान्तर खसरा संख्या 2970/570 का बिना विधिक खण्डन किये ही अपीलाधीन रास्ता का आदेश पारित करना विधिक त्रुटि युक्त प्रतीत होता है। उक्त कथनों को नजरअंदाज करते हुए प्रस्तावित मार्ग का आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है लेकिन रास्ते के लिए अन्य पक्षकार के जीवन में दुविधा पैदा करना भी विधि

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 414/2023 बउनवान अजाराम बनाम खेताराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 20.09.2024 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि यथासंभव बाबत् कटाण/चलायमान रास्ते संबंधित वर्तमान मौका रिपोर्ट तल्ब कर वास्तविक मौके अनुसार ही विधि सम्मत आदेश पारित करे तथा उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर, उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर गुणावगुण पर आदेश पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

29/7/2025
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 29.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/7/2025
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर